

:- आदेश :-

उपरोक्त प्राप्तिगों ने मेरे सम्मुख उपरिगत तोककर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु नियेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु साधमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी साधमति जाकत की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती परस्पर साधमति से किये जाने हेतु प्राप्तिगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने को आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					रखीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खरारा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खरारा संख्या	रकबा
बखरा	226	राम सिंह पुत्र उगाफ लिह ई० ७२५ जाति राजपूत राम सिंह पुत्र उगाफ लिह ई० ७३८ जाति राजपूत	327	1.23	राम सिंह पुत्र उगाफ लिह ई० ३ जाति राजपूत	327	1.23

क्रमांक :- 871
प्रतिलिपि पालनार्थ :- 12.11.21

1. उप तहसीलदार, मौलासर


शिपिर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-


क्रमांक :-
प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का बखरा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थापन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।


शिपिर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना)

दिनांक :-


उप तहसीलदार, मौलासर